रेरा से आवास खरीदारों में जगा विश्वास

NEW DELHI (12 MARCH): देश में रियल एस्टेट विनिमय अधिनियम (रेरा) के लागू होने के बाद भवन खरीदारों के लिए न सिर्फ अब योग्य भवन तैयार किए जा रहे है, बल्कि उसे खरीदने के लिए आने वाली जटिलताओं को भी आसान बना दिया है. रेरा कानून के आने के बाद रियल एस्टेट बाजार में पड़े सकारात्मक असर पर रिलायंस होम फाइनेन्स के ईडी व सीईओ रवींद्र सुधालकर ने कहा कि रेरा कानून के आने से सम्पत्तियों में निवेश करने वालों में विश्वास बढ़ा है.

हालांकि उन्होंने बताया कि रेरा कानून के आने से पहले संपत्तियों की भारी लागत, सूझ-बूझ से पारदर्शिता की कमी, अस्पष्ट समय सीमा और खराब सेवाओं ने लोगों को संपत्ति के बाजार में निवेश करने से दूर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बताया कि आने वाले अगले चार सालों में सौ मिलियन घरों की जरूरत होगी, जिसकी पूर्ति के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है. इसके तहत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी वाले होम लोन की योजना अब एमआईजी के दायरे में शामिल कर दी गई है.